HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous IInd Bail Application No. 10983/2026
URN: CRLMB / 20323U / 2026

Harshal Jain S/o Kapil Jain, Aged About 22 Years, R/o House No. 2161, Radio Market, Nehru Bazar, Police Station Kotwali, Jaipur. (At Present Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Kapil Nagayach
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

17/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 296/2025 अपराध अंतर्गत धारा 8/22, 8/25, 8/29 एनडीपीएस एक्ट में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि दिनांक 25.02.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का प्रथम प्रार्थना–पत्र निरस्त होने के पश्चात् प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। उनका तर्क है कि सम्पूर्ण अन्वेषण में उसके विरूद्ध बरामदशुदा मादक पदार्थ से सम्बन्धित होने की कोई साक्ष्य नहीं आई है, न तो मादक पदार्थ उससे बरामद हुआ है, न ही उससे खरीदा गया है, न ही उसे बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। केवल सहअभियुक्त लोकेन्द्र के साथ उक्त घटना के दो दिन पूर्व पेटीएम पर लोकेन्द्र को अभियुक्त के द्वारा दो हजार पांच सौ रूपये भिजवाए गए थे, इसी आधार पर उसे अपराध में संलिप्त मानकर अभियुक्त बनाया गया है। उक्त दो हजार पांच सौ रूपये किसी मादक पदार्थ के लिए

दिए जाने की कोई साक्ष्य नहीं है। उनका तर्क है कि जो मादक पदार्थ बरामद हुआ है वह शुद्ध मादक पदार्थ वाणिज्यिक प्रकृति का हो, ऐसा भी आरोप–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट नहीं हो रहा है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी दिनांक 25.12.2025 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि मामला मादक पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा से सम्बन्धित है। प्रार्थी/अभियुक्त धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत अभियुक्त होना पाया गया है। सहअभियुक्त लोकेन्द्र जिससे बरामदगी हुई है, से अभियुक्त ने मादक पदार्थ खरीदने के लिए दो हजार पांच सौ रूपये की राशि दी है। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर संगठित रूप से यह अपराध कारित किया है। अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.02.2026 को निरस्त किया गया था, उसके पश्चात् अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के आधिपत्य से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। साक्ष्य में यही आया है कि सहअभियुक्त को उसके द्वारा दो हजार पांच सौ रूपये की राशि दी गई है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थ के खरीदने अथवा बेचने की कोई साक्ष्य नहीं आई है। ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि सहअभियुक्त लोकेन्द्र ने अभियुक्त को कोई मादक पदार्थ सौंपा हो। वह दिनांक 25.12.2025 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के प्रकाश में, प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(SHUBHA MEHTA),J

5/AJAY KUMAR SINGHAL/712